`UPMT010083172017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/न्यायालय संख्या–05, मथुरा
उपस्थित – श्वेता वर्मा (एच०जे०एस०)
J.O.Code– U.P. 6428
अग्रेतर (लीडिंग) दाण्डिक अपील संख्या–23/2017
सी०आई०एस० नं० 59/2017

1–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), जिला मथुरा।

..... अपीलार्थी/वादी

बनाम

1–सन्तोष कुमार पुत्र पूरन सिंह, निवासी मगना, थाना बल्देव, जिला मथुरा।
2– लक्ष्मी नारायण पुत्र शिव सिंह,
3– राजू पुत्र चन्द्रभान सिंह,
4– हीरा पुत्र चन्द्रभान सिंह, निवासीगण मगना, थाना बल्देव, जिला मथुरा।

..... प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण

एवं

UPMT010149632017

सम्बंधित दाण्डिक अपील संख्या–26/2017
सी०आई०एस० नं० 68/2017

1– जगन्नाथ सिंह पुत्र फौरन सिंह, निवासी मगना, थाना बल्देव, जिला मथुरा।

..... अपीलार्थी/वादी

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), जिला मथुरा।
2– सन्तोष कुमार पुत्र पूरन सिंह,
2– लक्ष्मी नारायण पुत्र शिव सिंह,
3– राजकुमार पुत्र चन्द्रभान सिंह,
4– हीरा पुत्र चन्द्रभान सिंह, निवासीगण मगना, थाना बल्देव, जिला मथुरा।

..... प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.04.04 14:59:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPMT010149632017

सम्बंधित दाण्डिक अपील संख्या–53/2017

सी०आई०एस० नं० 116/2017

1– श्रीमती कान्ता देवी पत्नी जगन्नाथ सिंह, निवासी मगना, थाना बल्देव, जिला मथुरा।

2– खूबी पुत्र प्रहलाद सिंह, निवासी मगना, थाना बल्देव, जिला मथुरा।

..... अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), जिला मथुरा।
2– राजकुमार पुत्र चन्द्रभान, निवासी मगना, थाना बल्देव, जिला मथुरा।
3– हीरा पुत्र चन्द्रभान, निवासी उपरोक्त।
4–लक्ष्मीनरायन पुत्र शिव सिंह, निवासी उपरोक्त।
5–सन्तोष कुमार पुत्र पूरन सिंह, निवासी उपरोक्त।

..... प्रत्यर्थीगण/अभियुक्तगण

निर्णय

1– यह दाण्डिक अपील, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 4, मथुरा, द्वारा, मुकदमा संख्या 2080/2014, मुकदमा अपराध संख्या 28A/2011, राज्य बनाम सन्तोष कुमार आदि , अन्तर्गत धारा 148, 323, 324, 452, 504, 427 भा०द०सं०, थाना बल्देव, जिला मथुरा, में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017, जिसमें अभियुक्तगण संतोष कुमार, लक्ष्मी नारायण, राजू व हीरा को धारा 148, 323, 324, 452, 504, 427 भा०द०सं०, थाना बल्देव, जिला मथुरा, के मामले में दोषमुक्त किया गया, से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, चूँकि दाण्डिक अपील संख्या 23/2017 राज्य बनाम सन्तोष आदि, दाण्डिक अपील संख्या 26/2017 जगन्नाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि एवं दाण्डिक अपील संख्या 53/2017 श्रीमती कान्ता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आक्षेपित आदेश/ निर्णय दिनांक 30.03.2017 से सम्बन्धित है, इसलिये उक्त तीन दाण्डिक अपीलो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– अपीलार्थी राज्य द्वारा उक्त दाण्डिक अपील में लिये गये आधार यह है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.03.2017 वाद संख्या 2080/2014, अन्तर्गत धारा 148, 323, 324, 452, 504, 427 भा०द०सं०, थाना बल्देव, जिला मथुरा, राज्य बनाम संतोष कुमार आदि के वाद में अभियुक्तगण की दोषमुक्ति के विरूद्ध राज्य अपील निम्नलिखित आधारो पर की जा रही है। अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्षीगण न्यायालय में परीक्षित कराये है, उनके बयानो में जो विरोधाभास आये है, वे सूक्ष्म प्रकृति के है एवं प्राकृती है। विचारण न्यायालय ने जो निष्कर्ष दिया है वह तथ्यो के विपरीत है। अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण आरम्भ से ही अभियुक्तगण के पक्ष में पूर्वानुमान के आधार पर किया है तथा अभियोजन साक्ष्य की अनदेखी की गयी है। विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यो के साक्षियो के परिसाक्ष्य एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सही मूल्यांकन नही किया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है। उक्त आधारो पर विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या

2080/2014 अन्तर्गत धारा 148, 323, 324, 452, 504, 427 भा०द०सं०, राज्य बनाम सन्तोष कुमार आदि, थाना बल्देव में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.03.2017 को निरस्त कर, अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना न्यायालय से की गयी है।

अपीलार्थीगण कान्ता देवी, खूबी व जगन्नाथ की ओर से आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध अपील में यह आधार लिये गये है कि आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जितेन्द्र व प्रहलाद की चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर विद्यमान है, श्रीमती कान्ता देवी के पति जगन्नाथ सिंह ने थाना बल्देव पर एक लिखित प्रार्थनापत्र घटना के दिनांक पर दिया था, परन्तु उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत न करके एन०सी०आर० संख्या 21/2011 में मामला दर्ज कर लिया गया। खूबी दिनांक 04.02.2017 को सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, परन्तु इस तथ्य को विचारण न्यायालय ने ध्यान नही दिया है, चुटैल जितेन्द्र व प्रहलाद का साक्ष्य विचारण न्यायालय के समक्ष हुआ, जिन्होने घटना का पूर्ण समर्थन किया है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण सजा पाने के अधिकारी है, उक्त आधार पर अपील स्वीकार कर, अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने की याचना, न्यायालय से की गयी है।

3– तलबिदा पत्रावली के परिशीलन से यह विदित होता है, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी जगन्नाथ सिंह ने थाने पर जुबानी सूचना अंकित करायी कि उसका जगह को लेकर विवाद चल रहा है, अभियुक्तगण उसके जगह में होकर जबरदस्ती रास्ता बनाये हुये है। दिनांक 31.01.2011 को वह अपने मकान का निर्माण कर रहा था कि इतने में अभियुक्तगण संतोष कुमार, लक्ष्मी नरायन, राजू व हीरा मौके पर आकर गाली गलौज करने लगे, गाली देने से मना किया, तो उसके साथ लाठी डन्डा से मारपीट करने लगे। गाली गलौज मारपीट करने के शोर पर वादी की पत्नी कान्ता देवी व लडका जीतू व भाई प्रहलाद सिंह व भतीजा खूबीराम बचाने आये तो उनको भी मारापीटा। मौके पर गॉव के लोगो को आता देख कर मौके से भाग गये। मारपीट में वादी की पत्नी व भाई लडका व भतीजे के शरीर पर चोटे आयी। उक्त घटना के दौरान उक्त लोगो ने वादी के ट्रैक्टर को तोड़ फोड़कर नुकसान कर दिया।

4– वादी की जुबानी सूचना के आधार पर थाना बल्देव पर एन सी आर संख्या 21/2011 धारा 323, 504, 427 भा.द.स पंजीकृत की गयी, तत्पश्चात वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 155(2) द०प्र०स० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा धारा 155 (2) द०प्र०स० के अन्तर्गत विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किया गया।

5– विवेचना अधिकारी द्वारा बाद विवेचना अभियुक्तगण संतोष, लक्ष्मीनारायण, राजू एवं हीरा के विरूद्ध धारा 323, 324, 504, 427 भा०द०सं० के अपराध में विचारण हेतु न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

6– अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा आहूत किया गया, अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये तथा अभियुक्तगण संतोष कुमार, लक्ष्मीनारायण, राजू एवं हीरा के विरूद्ध आरोप दिनांक 22.03.2014 को अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 427 भा०द०सं० विरचित किया गया, तत्पश्चात दिनांक 16.08.2016 को अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148, 452 भा०द०सं० के अपराध की बढोत्तरी कर अन्तर्गत आरोप संशोधित किया गया, जिससे उन्होने इंकार किया व विचारण की याचना की।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से जगन्नाथ सिंह (पी०डब्लू० 1), जीत उर्फ जितेन्द्र (पी०डब्लू० 2), प्रहलाद सिंह (पी०डब्लू० 3), एस०आई० राजकुमार तिवारी (पी०डब्लू० 4), एच०सी० 255 ध्यान पाल सिंह (पी०डब्लू० 5) एवं फार्मासिस्ट एस०पी० सत्यपाल गौतम (पी०डब्लू० 6) को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया गया।

8– वादी पक्ष की ओर से सूची 30 ब से कागज संख्या 31ब/1 वाद संख्या 347/2013 जगन्नाथ सिंह बनाम संतोष में परीक्षित साक्षी श्रीमती कान्ता के बयान की प्रमाणिति प्रतिलिपि, कागज संख्या 31ब/4 277/2004 राज्य बनाम हीरासिंह आदि थाना बल्देव में पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31ब/6 राज्य बनाम हीरासिंह आदि में हुये जगन्नाथ के मेडीकल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31 ब/8 राज्य बनाम हीरासिंह आदि में हुये प्रहलाद के मेडीकल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31ब/10 राज्य बनाम हीरासिंह आदि में हुये श्रीमती सुधा के मेडीकल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31 ब/12 राज्य बनाम हीरासिंह आदि में हुये हरीशचन्द्र के मेडीकल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31 ब/14 अपराध संख्या 277/2004 थाना बल्देव में प्रेषित आरोपपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31 ब/16 मु०अ०स० 158/2012 में अंकित चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31ब/18 परिवाद संख्या 2659/2012 जगन्नाथ बनाम संतोष आदि में पारित तलबी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31 ब/19 मूलवाद संख्या 469/2010 जगन्नाथ आदि बनाम निरपति सिंह आदि में अमीन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31ब/23 मूलवाद संख्या 330/2010 जगन्नाथ बनाम हरिभान सिंह में दाखिल अमीन रिपोर्ट की छाया प्रति, कागज संख्या 31ब/26 वाद संख्या 26/2012 जगन्नाथ सिंह बनाम संतोष आदि में दावा धारा 156 (3) द०प्र०स० की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 31ब/29 जगन्नाथ सिंह बनाम संतोष कुमार आदि के परिवाद पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, कागज संख्या 314/32 लगायत 314/35 डिस्चार्ज स्लिप की रसीदें कागज संख्या 314/37 अपराध संख्या 157/तत्पश्चात अभियोजन पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त किया गया ।

9– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण के बयान 313 दं.प्र.स. अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त संतोष द्वारा कथन किया गया है कि उसने मारपीट नहीं की थी, जगन्नाथ, तेजवीर, जितेन्द्र उर्फ जीतू भोला उर्फ हरीचंद ने लक्ष्मीनारायण, संतोष देवी व राजकुमार से मारपीट की थी इससे बचने के लिये झूठा मुकदमा लगाया है। लक्ष्मीनारायन के गले की हडडी फ्रैक्चर हो गयी थी। लक्ष्मीनारायण व संतोष के भविष्य को खराब करने के लिये यह झूठा मुकदमा लगाया है। गवाह झूठी गवाही देते है मुकदमा झूठा चला नक्शा नजरी थाने में बैठकर बनायी है विवेचना निष्पक्ष नहीं की गयी। आरोपपत्र गलत लगाया है। एनसीआर झूठी लिखायी गयी केस से बचने के लिये बाद में सोच समझकर लिखायी गयी है। फर्जी चोटों के आधार पर चिकित्सीय रिपोर्ट बनायी गयी। अपने अतिरिक्त कथन में अभियुक्त ने कहा है कि उसने जगन्नाथ के परिवारीजन से जमींन खरीदी थी बैनामा से चिढ़ कर रंजिशन मारपीट लक्ष्मीनारायण संतोष लक्ष्मी देवी, राजकुमार से की थी। लक्ष्मीनारायण की कॉलर बोन / गले की हड्डी तोड़ दी थी। संतोष लक्ष्मी देवी व राजकुमार को चोटें आयी थी। इस केस से बचने के लिये सोच समझकर बाद में झूठा मुकदमा लगाया है तथा लक्ष्मीनारायण व संतोष का भविष्य खराब करने के लिये उन्हे झूठा फंसाया है, सभी को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त हीरा सिंह, राजकुमार एवं लक्ष्मीनारायण ने भी उपरोक्तानुसार कथन किया है।

10– बचाव पक्ष की ओर से सफाई में सूची 28 ब से 13 पेपर दाखिल किये गये है जिनमें लख्मीनारायण की मैडिकल रिपोर्ट दिनांक 31–01–2011, एक्सरे रिपोर्ट लक्ष्मीनारायण दिनांक 1–2–11, सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट लक्ष्मीनारायण दिनांक 7–2–11, मेडिकल रिपोर्ट संतोष दिनांक 31–1–11, मेडिकल रिपोर्ट लक्ष्मीदेवी दिनांक 31–1–11, मेडीकल रिपोर्ट राजकुमार दिनांक 31–1–11, आरोपपत्र मु०सं० 28/11 विरूद्ध जगन्नाथ, जितेन्द्र, भोला, आरोपपत्र मु०सं० 2081/14 दिनांक 7–1–16, बयान एनसीआर लेखक ध्यानपाल पी०डब्लू० 4 मु०सं० 2081/14 राज्य बनाम

जगन्नाथ, बयान एसआई राजीव रौहतगी पी०डब्लू० 7 मु०सं० 2081/14 राज्य बनाम जगन्नाथ, नक्शा नजरी मु०सं० 2081/14 राज्य बनाम जगन्नाथ, आदेश क्रिमिनल रिवीजन 270/16 गौरव बनाम राज्य एवं एक पुरानी खतौनी दाखिल खारिज लक्ष्मी देवी पत्नी हीरासिंह प्रस्तुत किये गये है।

11– अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को सिद्ध करने के लिए पी.डब्लू. 1 जगन्नाथ सिंह, पी०डब्लू० 02 जीत उर्फ जितेन्द्र, पी०डब्लू० 3 प्रहलाद सिंह, पी०डब्लू० 4 एस०आई० राजकुमार तिवारी, पी०डब्लू० 4 एच.सी.255 ध्यान पाल सिंह एवं पी०डब्लू० 6 फार्मासिस्ट एस०पी० सत्यपाल गौतम को साक्ष्य हेतु परीक्षित कराया गया है।

12– हस्तगत अपील में उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का परिशीलन किया व साथ ही तलबिदा पत्रावली मुकदमा अपराध संख्या 28A/2011 राज्य बनाम सन्तोष कुमार आदि, की पत्रावली का भी परिशीलन किया।

13– अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा जगन्नाथ सिंह पुत्र फोरन सिंह द्वारा अभियुक्तगण संतोष कुमार पुत्र पूरन सिंह, लक्ष्मी नारायण पुत्र शिव सिंह, राजू एवं हीरा पुत्रगण चन्द्रभान सिंह के विरुद्ध असंज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/2011, दिनांक 31.01.2011 को 18.45 पी०एम० पर थाना बल्देव में पंजीकृत कराई गई। उक्त असंज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा ने जुबानी बयान किया कि अभियुक्तगण से उसका जगह को लेकर विवाद चल रहा है और अभियुक्तगण उसकी जगह में से होकर जबरदस्ती रास्ता बनाये हुए है व दिनांक 31.01.2011 को जब वादी मुकदमा अपने मकान का निर्माण करा रहा था तो इतने में अभियुक्तगण संतोष आदि मौके पर आकर मारपीट गाली–गलौज करने लगे और जब गाली –गलौज देने से मना किया, तो वादी मुकदमा से लाठी, डंडे से मारपीट करने लगे, गाली गलौज, मारपीट करने के शोर पर वादी मुकदमा की पत्नी,पुत्र, भाई व भतीजा क्रमश: कांता देवी, जीतू, प्रहलाद सिंह, खूबीराम, वादी मुकदमा को बचाने आये, तो अभियुक्तगण ने इनको भी मारा पीटा और मौके पर गांव के लोगों को आते देखकर यह लोग मौके से भाग गये। उक्त घटना के दौरान अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के ट्रैक्टर में तोड़फोड़ करके नुकसान किया।

14– उक्त असंज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21/11 के संबंध में, वादी मुकदमा जगन्नाथ सिंह द्वारा न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 155(2) दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर, न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2011 के अनुसार मामले में विवेचना हुई। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि अपने प्रार्थनापत्र अन्तगर्त धारा 155(2) दंड प्रक्रिया संहिता में वादी ने अभियुक्तगण संतोष कुमार लक्ष्मी नारायण, राजू व हीरा के साथ अन्य व्यक्तियों गौरव पुत्र राजपाल, जगदीश, हेमन्त व पूरन का नाम भी घटना कारित करने वालों के रुप में दिया है, अभियुक्तगण गौरव, पूरन सिंह, जगदीश व सुखवीर को हस्तगत मामले में, वादी मुकदमा के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 द०प्र०सं० के आधार पर, अपराध अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 427 भा०द०सं० के विचारण हेतु, विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 04.05.2016 से आहूत किया गया, तत्पश्चात न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2016 से अभियुक्तगण गौरव, पूरन सिंह, जगदीश व सुखवीर की पत्रावली शेष अभियुक्तगण संतोष, लक्ष्मीनारायण, राजू व हीरा की पत्रावली से पृथक की गयी।

15– पत्रावली पर श्रीमती कांता देवी, खूबीराम, प्रहलाद सिंह की चिकित्सीय परीक्षण आख्या क्रमश: प्रपत्र प्रदर्श क–6 लगायत प्रदर्श क–9 विद्यमान है, जिसके अनुसार उक्त चुटैलों का चिकित्सीय परीक्षण थाना बल्देव से प्राप्त चिट्ठी मजरुबी के आधार पर जिला चिकित्सालय मथुरा में दिनांक 01.02.2011 को चिकित्सक डॉक्टर बी०पी० सारस्वत द्वारा किया गया।

श्रीमती कान्ता देवी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके निम्न चोटे पायी गयी–

1– LW. 2.5 cm X 0.5 c.m X Scalp deep Rt. Side fore head

2–Abrasion swelled 6.c.m X 2.c.m Lt leg middle part.

Injuries are about one & half day old simple caused by hard blunt object and fresh.

खूबीराम की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके निम्न चोटे पायी गयी–

1–I.W.2cm X 0.5 cm X cartidose deep on Lt. ear upper part

2–Abraided contusion 4 cm X1 cm Lt. side head at the root of Lt ear/ Injuries are about one & half day old caused by one sharp edged object & 2 by hard blunt object & friction.

प्रहलाद सिंह की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके निम्न चोटे पायी गयी–

1–Contusion swelling 10 cm X 6.c.m. Lt. elbow and fore arm.

2–Contusion swelling Lt. Side bone deep head size 3 c.m X 2.c.m Injuries are about one & half day old simple caused by hard blunt object & fresh.

जीतू की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके निम्न चोटे पायी गयी–

1– Countusion swelling 5 c.m. x 3.c.m. root of head 12 c.m. from root of nose.

2– LW.4 c.m x 3 c.m. Lt. thumb (bigtoe)

3– Blueish red countusion 5 c.m. x 2.c.m. Lt. fore arm above part.

4– C/O pain All over body.

Injuries are about one & half day old simple caused by hard & blunt object.

16– अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 31.01.2011 को सुबह 8.00 बजे जगन्नाथ सिंह की जगह की बताई गई और स्वयं वादी मुकदमा जगन्नाथ सिंह (पी०डब्लू० 1) की प्रति परीक्षा के अनुसार " –––31 तारीख को सुबह 8.00 चोटे लगी थी। पुलिस के पास 2:00 बजे गया था, चोटे मेरी पत्नी के सिर पर आयी थी, मेरे गुम चोट थी, पत्नी के सिर पर से बहुत खून निकल रहा था, हम पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस ने जब भेजा तब अस्पताल गये थे, अस्पताल हमें पुलिस लेकर आयी थी, पुलिस ने हमारा चालान नही किया, मैं घटनास्थल पर था, तब मुझे नहीं पता कि संतोष, राजकुमार, लक्ष्मी नारायण, हीरा सिंह आदि को गंभीर चोट आयी थी। मुझे नही पता कि घटनास्थल पर उन्हें क्या हुआ था। मैं खुद ही चुटैल था, अपने घर पर था। ––– घटना के बाद में सीधे पुलिस स्टेशन गया था, अस्पताल नही गया। थाने दोपहर 2.00 बजे पहुँचा था, चुटैल साथ गये थे, पुलिस वालों ने उनकी चोटे देखी थी। मेरी रिपोर्ट के आधार पर थाने से रिपोर्ट की नकल थाने से शाम को छ: बजे मिली, हमको घर भेज दिया, दूसरे दिन हम सुबह थाने पहुँच गये, डॉक्टरी मुआयने के लिए। दूसरे

दिन दीवान जी ने मेरी चोटे नही देखी। मेरा नाम जगन्नाथ है, मेरी 4–5 गुम चोटे आई थी। गुम चोटो से मतलब नील पड़ गये थे, खुरसट नही थी, नील मेरे सिर, कंधे, पीठ पर थे। यह चोटे मैंने पुलिस को दिखायी थी, मेरा डॉक्टरी मुआयना नही कराया था, प्रहलाद का खून निकला था। प्रहलाद के सिर पर, हाथ पर चोटे थी, प्रहलाद की अंगुलियों से खून निकल रहा था, सिर में कान के ऊपर से खून निकल रहा था। ––– जहॉ मारपीट हुई वहॉ खून गिरा था, दरोगा जी को खून दिखाया था, दरोगा खून ले गये या नही मुझे नही पता, जहॉ खून गिरा था, उसके पूरब में मेरी जमीन उसके बाद रास्ता है, पश्चिम में मेरे भाई का मकान है, उत्तर में मेरी जमीन है, दक्षिण में मेरा मकान व उसके बाद रास्ता है–––।"

17– मामले के विवेचक द्वारा मौके का नक्शा नजरी तैयार किया गया, जिसमें " ए" अक्षर से वह स्थान दर्शाया गया है, जहॉ मारपीट हुई वह जगह वादी मुकदमा के मकान के अंदर की नही दिखाई गई है, अपितु वादी मुकदमा के मकान के उत्तर बाहरी जगह दिखाई गई है, जिसके पूरब में रास्ता दर्शाया गया है।

18– घटना के चुटैल जीतू उर्फ जीतेंद्र पुत्र जगन्नाथ (पी०डब्लू० 2) ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि "–––सबसे पहले मेरी माँ को मारा कुल्हाड़ी से। सबसे पहले मेरी माँ को मारा, फिर मुझे मारा, मुल्जिमान ने हम सबको एक साथ मारा, एक–एक कर नही मारा–––मेरी माँ के कितनी चोटे आई थी, मैंने गिनी नही थी। चोटे मेरी माँ के, ताऊ जी के, पिता के कितनी–कितनी आई थी, मैंने गिनी नही थी, खूबी के कितनी चोटे आई थी, मैंने गिनी नही। मैं बेहोश नही हुआ था, मेरे गुम चोटे आई थी। ––– जहॉ मारपीट हुई थी, उसके चारो तरफ एक मकान वकील साहब का है, एक रामरतन का है, एक तरफ जगदीश का है तथा एक तरफ बलवीर का है, जगदीश इस केस में गवाह नही है, न रामरतन गवाह है, न जगदीश व रामरतन के घर का गवाह है। ''

19– चुटैल प्रहलाद सिंह (पी०डब्लू० 3) ने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि "–––हीरा सिंह, संतोष, राजू के साथ हमने मारपीट नही की थी, इन लोगों ने ही मारपीट की थी। इन लोगों ने हमारे खिलाफ पहले रिपोर्ट दर्ज कराई। बचाव में हमने झूँठा मुकदमा कराया, मारपीट करीब आधा घंटे हुई थी, मुझमें दो लठ मारे थे। जगन्नाथ में चार लठ मारे थे, जीतू में चार–पाँच लठ मारे थे, सभी मार रहे थे। लठ से कांता बेहोश हो गई, मैं गिरा नही था, खड़ा रहा था, मुझे चक्कर नही आये थे, ––– मैं थाने गया था, मेरी गिरफ्तारी पुलिस ने नही की थी, मैं थाने से अदालत नही आया था, सरकारी अस्पताल गया था, चार–पाँच आदमी साथ थे।

20– हस्तगत मामले में यह बात ध्यान देने योग्य है कि वादी मुकदमा जगन्नाथ सिंह के अनुसार मारपीट की घटना, अभियुक्तगण के द्वारा उससे मारपीट करने से शुरु हुई थी और उसकी पत्नी कांता देवी, पुत्र जीतू, भाई प्रहलाद व भतीजा खूबीराम को, वादी मुकदमा जगन्नाथ सिंह को बचाने में चोटे आना, अभियोजन कथानक के अनुसार बताया गया है, जगन्नाथ सिंह (पी०डब्लू० 1) की उक्त साक्ष्य के अनुसार वह घटना में खुद ही चुटैल था, तो जब वादी के कथानक के अनुसार घटना, अभियुक्तगण द्वारा उससे मारपीट करने से शुरू हुई थी और वह घटना में चुटैल भी था, तो उसने अपना चिकित्सीय परीक्षण क्यो नही कराया, यह स्थिति अभियोजन की ओर से स्पष्ट नही की गयी हैं व जगन्नाथ सिंह की कोई चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर विद्यमान नही है।

21– अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 31.01.2011 को सुबह 08.00 बजे की बतायी गयी है, परन्तु मामले की एन०सी०आर० थाना बल्देव में विलम्ब से, दिनांक 31.01.2011 को

शाम 18.45 पी०एम० पर दर्ज करायी गयी। सुबह 08.00 बजे की घटना की एन०सी०आर०, दस घण्टे विलम्ब से थाने में पंजीकृत कराने का कोई युक्ति युक्त स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नही दिया गया है।

22– हस्तगत मामले में यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि घटना में वादी मुकदमा जगन्नाथ की पत्नी कान्ता देवी व खूबीराम को भी चुटैल बताया गया है, जिनकी चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली पर विद्यमान है, परन्तु चुटैल कान्ता देवी व खूबीराम को विचारण न्यायालय के समक्ष, अभियोजन द्वारा परीक्षित नही कराया गया है।

23– जहॉ तक घटना के चुटैल प्रहलाद सिंह का प्रश्न है, तो प्रहलाद सिंह (पी०डब्लू० 3) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्तगण ने उनके खिलाफ पहले रिपोर्ट दर्ज करायी, तो उन्होने अर्थात इस मुकदमा के वादी पक्ष ने बचाव में झूँठा मुकदमा कराया। प्रहलाद सिंह की उक्त प्रतिपरीक्षा को देखते हुये, अभियोजन कथानक स्वयमेव ही पूर्णतः ही संदेह की परिधि में आ जाता है।

24– घटना के चुटैल जितेन्द्र (पी०डब्लू० 2) के चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार उसे चार चोटे आना बताया गया है, परन्तु जितेन्द्र की प्रतिपरीक्षा को देखते हुये, उसकी चिकित्सीय परीक्षण आख्या व उसके साक्ष्य में विरोधाभास स्पष्ट है, चुटैल जितेन्द्र उर्फ जीतू (पी०डब्लू० 2) ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रहलाद सिंह को आयी चोटो के सम्बन्ध में कोई कथन नही किया है। चुटैल जितेन्द्र उर्फ जीतू (पी०डब्लू० 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्तगण ने सबसे पहले उसके माँ को मारा था, जबकि अभियोजन कथानक यह है कि मारपीट वादी मुकदमा जगन्नाथ को मारने से शुरू हुई थी। फिर यहॉ चुटैल कान्ता देवी व खूबीराम को विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित नही कराया है और परीक्षित न कराये जाने का कोई कारण भी स्पष्ट नही किया गया है, जिस व्यक्ति अर्थात वादी मुकदमा जगन्नाथ को मारने, पीटने से घटना का आरम्भ होना बताया गया है, उनकी किसी चोट से सम्बन्धित कोई चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर विद्यमान नही है, यह स्थिति भी अभियोजन कथानक को संदेहास्पद बनाती है।

25– अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में अभियोजन कथानक के सम्बन्ध में विरोधाभास आया है एवं अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारो के मध्य जमीनी रंजिश रही है व घटना के चुटैल साक्षीगण के साक्ष्य में यह भी आया है कि जमीन की रंजिश की वजह से व इस मामले के अभियुक्तगण द्वारा उनके विरूद्ध पहले मुकदमा दर्ज कराने के कारण उन्होने अपने बचाव में यह मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कराया हैं। मामले की असंज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब से पंजीकृत कराने व उस विलम्ब का कोई युक्ति युक्त स्पष्टीकरण न होने के कारण उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुये, अभियोजन कथानक पूर्णतः संदेह की परिधि में आ जाता है।

26– विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित आदेश में मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर विधिनुसार विस्तृत विचार किया है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.03.2017 में यह जो निष्कर्ष दिया है कि अभियोजन, संदेह से परे, अभियोजन कथानक अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध करने में असफल रहा है, वह विधिसम्मत है, तदनुसार यह अपीलीय न्यायालय अपील के आधारो में कोई बल नही पाती है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर, यह अपीलीय न्यायालय, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.03.2017 में कोई त्रुटि अथवा अवैधता नही पाती है, तदनुसार हस्तगत दाण्डिक अपील निरस्त किये जाने योग्य है व विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 2080/2014 राज्य बनाम सन्तोष कुमार आदि, मुकदमा अपराध संख्या 28A/2011, अन्तर्गत धारा 148, 323, 324, 452, 504, 427 भा०द०सं०, थाना बल्देव, जिला मथुरा में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक अपील संख्या–23/2017 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सन्तोष कुमार आदि एवं सम्बन्धित दाण्डिक अपील संख्या 26/ 2017 जगन्नाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि व सम्बन्धित अपील संख्या 53/2017 श्रीमती कान्ता देवी आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि, निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा न्यायालय संख्या 4, मथुरा, द्वारा मुकदमा संख्या 2080/2014, राज्य बनाम संतोष कुमार आदि, मुकदमा अपराध संख्या 28A/2011, अन्तर्गत धारा 148, 323, 324, 452, 504, 506 भा०द०सं०, थाना बल्देव, जिला मथुरा में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 पुष्ट किया जाता है।

निर्णय की एक प्रति मय तलबिदा मूल पत्रावली के अविलम्ब सम्बन्धित न्यायालय को वापस की जाये।

उक्त निर्णय की प्रति सम्बन्धित दाण्डिक अपील संख्या 26/2017 व सम्बन्धित दाण्डिक अपील संख्या 53/2017 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः 31.03.2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–05, मथुरा
J.O.Code– U.P. 6428

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांकः 31.03.2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–05, मथुरा
J.O.Code– U.P. 6428